राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक– ई–11/नर्स–2/पोबीएससी/11/2025 दिनांक– 22/9/11

आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2011–12 में दो वर्षीय पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण करने हेतु निम्नांकित नर्स–2, का चयन किया गया है, इन्हें दिनांक– 23.09.11 तक अपनी उपस्थिति आबंटित कॉलेज में प्रस्तुत करनी है। इन कर्मियों के आवेदन निम्न शर्तों पर अग्रेषित किये गये थे–

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरंत विभाग में अपनी उपस्थिति देगा, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रशिक्षण उपरांत कार्मिक किसी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेंगे।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जायेगी।
6. नियमानुसार बन्ध पत्र प्रस्तुत करेंगे।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	आबंटित कॉलेज
1	नाजनीन शेख	रा0चि0नाथद्वारा	राज0नर्सिंग कॉलेज,जयपुर
2	मीनाक्षी	सीएचसी सूरजगढ, झुंझूनू	राज0नर्सिंग कॉलेज, जयपुर
3	संगीता मीणा	सम्बद्ध चिकि0वर्ग बीकानेर	राज0नर्सिंग कॉलेज,जयपुर
4	एनीमोल के0के0	पीएमओ सिरोही	गायत्री नर्सिंग कॉलेज, उदयपुर

अतः सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्मिक द्वारा उक्त शर्तों के अध्यधीन प्रशिक्षण के लिये कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत करने पर प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त कर निदेशालय को अवगत करावें।

नोटः– यदि कोई कार्मिक प्रोबेशन अवधि में है तो उसे प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक– ई–11/नर्स–2/पोबीएससी/11/ 2025 दिनांक– 22-9-11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयोजक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/जोधपुर /बीकानेर /उदयपुर
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वैब साईट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर